पत्रांक 4876 दिनांक 30/12/2022

दिनांक– 23.12.2022 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षा हेतु सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के साथ की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही–सह–दिए गए निदेश।

उपस्थितिः– यथा संधारित।

दिनांक–23.12.2022 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की प्रगति की समीक्षा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, सभी सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी एवं सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ की गई।

समीक्षोपरान्त विभिन्न जिलों का प्रगति प्रतिवेदन एवं दिए गए निदेश निम्नवत् हैः–

1. **प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा** :– सर्वप्रथम प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने के लिए तय की गई समय–सीमा और इसके विरूद्ध जिलावार लक्ष्य की प्राप्ति की समीक्षा की गई और प्रतिवेदन निम्नवत् पाया गया :–

क्र0 स0	जिला का नाम	मौजों की कुल संख्या	15 दिसंबर 2022 तक का पूर्व से निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध दिसंबर तृतीय सप्ताह तक की प्राप्ति
1	2	3	4	5
			लक्ष्य	प्राप्ति
1	शेखपुरा	284	242	107
2	सुपौल	252	211	43
3	मुंगेर	313	269	110
4	बेगूसराय	440	370	124
5	लखीसराय	387	331	37
6	नालंदा	396	306	41
7	अरवल	314	252	3
8	जमुई	155	130	12
9	मधेपुरा	114	102	18
10	सहरसा	122	101	4
11	बांका	309	242	40
12	प0 चम्पारण	281	183	54
13	खगड़िया	163	132	3
14	शिवहर	80	68	3
15	जहानाबाद	240	190	14
16	कटिहार	185	143	18
17	पूर्णियाँ	72	61	19
18	सीतामढ़ी	253	202	10
19	किशनगंज	460	330	4
20	अररिया	144	110	7
	कुल	**4964**	**3972**	**671**

उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि किसी भी जिले द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कि गया है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना तथा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा खेद व्यक्त किए जाने के साथ–साथ चिंता व्यक्त की गई तथा निदेशित किया गया कि प्रत्येक दशा में कार्य में तेजी लाई जाए और जनवरी, 2023 माह तक प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन करने हेतु हरसंभव प्रयास किया जाए।

2. **विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की तुलनात्मक प्रगति की समीक्षा :–** सर्वप्रथम जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रगति की समीक्षा जिलों द्वारा वर्ष–2022 के माह अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह, नवंबर के द्वितीय सप्ताह एवं दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में किए गए कार्य की तुलनात्मक स्थिति के संदर्भ में की गई एवं तीन माह की तुलनात्मक प्रगति निम्नवत् पाई गई:–

COMPARATIVE REPORT OF OCTOBER ,NOVEMBER & DECEMBER -2022									PHASE-1		
SL.NO.	District	Mauza	Boundary Updated Map's Supply			Kishtwaar (Mauza)			Khanapuri (Mauza)		
			Oct. 2nd week	Nov. 2nd week	Dec 2nd Week	Oct. 2nd week	Nov. 2nd week	Dec 2nd Week	Oct. 2nd week	Nov. 2nd week	Dec 2nd Week
			8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ARARIA	144	144	144	144	142	142	142	46	53	65
2	ARWAL	314	186	288	309	138	198	252	44	55	72
3	BANKA	309	309	309	309	303	303	309	85	100	114
4	BEGUSARAI	440	408	408	408	329	341	377	179	184	218
5	JAMUI	155	155	155	155	151	155	155	39	45	50
6	JEHANABAD	240	240	240	240	171	181	204	81	94	102
7	KATIHAR	185	171	171	171	161	162	167	53	53	64
8	KHAGARIA	163	163	163	163	155	155	155	11	20	35
9	KISHANGANJ	460	425	440	440	270	331	378	38	56	66
10	LAKHISARAI	387	356	378	378	300	375	379	91	105	113
11	MADHEPURA	114	114	114	114	107	108	109	34	34	42
12	MUNGER	313	311	311	311	311	311	311	199	219	232
13	NALANDA	396	396	396	396	386	387	387	108	133	157
14	PURNIA	72	72	72	72	69	69	69	42	42	45
15	SAHARSA	122	122	122	122	122	122	122	11	20	31
16	SHEIKHPURA	284	284	284	284	284	284	284	168	168	168
17	SHEOHAR	80	80	80	80	80	80	80	20	23	30
18	SITAMARHI	253	154	211	212	140	141	142	47	58	74
19	SUPAUL	252	252	252	252	252	252	252	63	76	91
20	W. CHAMPARAN	281	281	281	281	281	281	281	109	120	131
Total:-		4964	4623	4819	4841	4152	4378	4555	1468	1658	1900

Form-6 Entry in Software (Completed Mauza)			LPM & Form-7 Distribution (Mauza)			Darft Publication Form-12 (Mauza) (10%)			Final Publication Form-20 (Mauza)(5%)		
Oct. 2nd week	Nov. 2nd week	Dec 2nd Week	Oct. 2nd week	Nov. 2nd week	Dec 2nd Week	Oct. 2nd week	Nov. 2nd week	Dec 2nd Week	Oct. 2nd week	Nov. 2nd week	Dec 2nd Week
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
34	34	39	19	25	38	1	5	7	0	0	0
6	9	21	6	7	19	2	3	3	0	0	0
55	70	82	53	67	79	26	31	37	0	0	0
122	126	151	118	126	146	92	104	112	49	51	60
20	23	28	19	22	25	9	10	12	0	4	4
14	18	51	11	16	26	4	7	11	0	1	1
35	36	40	27	36	37	15	18	18	0	0	0
7	7	9	3	6	7	1	1	3	0	0	0
12	14	36	8	13	34	0	0	4	0	0	0
69	70	76	55	56	75	35	36	37	19	19	19
29	31	35	26	27	31	13	16	17	0	0	0
130	154	169	127	138	156	84	90	106	36	36	36
91	102	122	86	96	115	34	35	40	5	8	10
28	32	36	28	28	36	12	13	17	1	1	1
9	9	11	8	9	11	0	1	4	0	0	0
118	124	140	115	121	140	82	92	103	48	50	53
8	11	14	4	5	10	2	2	3	0	0	0
16	23	29	12	22	28	6	7	10	0	0	0
54	63	71	46	63	70	27	30	38	2	3	3
60	72	88	57	69	79	34	37	48	6	6	6
917	1028	1248	828	952	1162	479	538	630	166	179	193

उक्त प्रगति प्रतिवेदन की तुलनात्मक प्रगति पर खेद व्यक्त करते हुए निदेशित किया गया कि विगत् दो माह में प्रगति संतोषजनक नहीं है, विगत दो माह में कुछ जिलों छोड़कर शेष जिलों में खानापुरी की प्रगति संतोषजनक नहीं रही, जिस कारण लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित राजस्व ग्रामों के प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन नहीं किया जा सका। सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वर्त्तमान माह में अतिरिक्त कार्य करके पूर्व के लंबित कार्यों को पूरा किया जाए एवं बड़े ग्रामों को छोड़कर शेष ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख जनवरी, 2023 तक प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।

3. जिलावार प्रगति की समीक्षा :– सभी जिलों के प्रगति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लगभग प्रत्येक जिले में किस्तवार, खानापुरी, LPM वितरण से प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन तथा प्रारूप से अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन तक के कार्य तथा प्रारूप से अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन तक का कार्य नियमावली द्वारा निर्धारित समय की तुलना में बहुत अधिक समय में पूरा किया गया है। बैठक में PPT के माध्यम से सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को वैसे 15 राजस्व ग्रामों की सूची से अवगत कराया गया, जिनके द्वारा किस्तवार, खानापुरी एवं अन्य प्रक्रमों के कार्य को पूरा करने में अत्यधिक समय लगाया गया है। बैठक में श्री विनोद कुमार पंकज, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा दिसंबर के प्रथम एवं अंतिम सप्ताह में लगभग सभी जिलों के विभिन्न शिविरों में साथ समीक्षा की गई एवं विभिन्न प्रक्रमों को एक निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए निदेश एवं लक्ष्य दिए गए बैठक में दिए गए लक्ष्य के अनुसार कुछ जिलों द्वारा लगभग 20 दिनों की अवधि में एक ग्राम की भी खानापुरी पूर्ण नहीं की गई।

निदेशित किया गया कि विभिन्न शिविरों द्वारा विभिन्न प्रक्रमों को पूरा करने के लिए लगाए जा रहे समय–सीमा की जिला स्तर से नियमित समीक्षा की जाए एवं जिन कर्मियों द्वारा अनावश्यक रूप से विलंब किया जा रहा है, उनके विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि जिन ग्रामों में तीन माह या उससे अधिक की अवधि से खानापुरी का कार्य चल रहा है अथवा तीन माह पूर्व प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया जा चुका है, उनमें अंतिम अधिकार अभिलेख तथा जिन राजस्व ग्रामों में 3 माह पूर्व खानापुरी पूर्ण की जा चुकी है, उनमें प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एक पक्ष के अंदर में करना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा उपरान्त निदेशित किया गया कि किस्तवार, खानापुरी, L.P.M वितरण से प्रारूप प्रकाशन तथा अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन की प्रत्येक प्रक्रिया में लगने वाले अत्यधिक समय को देखते हुए यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रक्रम के कार्य से सम्बन्धित प्रत्येक बिन्दु की समीक्षा एवं अनुश्रवण बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से की जाए और आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन दिए जाने के साथ–साथ कार्य के प्रति लापरवाही रखने वाले कर्मियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रत्येक प्रक्रम के कार्य को एक निर्धारित समय–सीमा के अन्दर पूरा करने के लिए ठोस कार्य–योजना तैयार की जाए।

4. जिलास्तरीय प्रतिवेदन एवं निदेश :– जिलास्तरीय तीन माह की तुलनात्मक प्रगति, पूर्व की बैठकों में निर्धारित किए गए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने तथा प्रक्रमवार कार्यों के निष्पादन में लगने वाले समय एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:–

(i) MIS प्रतिवेदन के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन वाले 03 जिलों यथा अरवल, किशनगंज एवं सीतामढ़ी द्वारा अब तक किस्तवार की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के सम्बन्ध में सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि एजेंसी द्वारा अब तक मात्र 132 ग्राम का मानचित्र उपलब्ध कराया गया है एवं एजेंसी द्वारा सीमा सत्यापन के साथ बस्ती का मानचित्र को ससमय उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण किस्तवार का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में एजेंसी द्वारा बताया गया कि शिविरों द्वारा रिविजनल सर्वे की सीमा–रेखा के साथ मानचित्र मांगा जा रहा है, जबकि पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार इस तरह का मानचित्र नहीं दिया जाना था। बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल द्वारा बताया गया कि कुल 314 ग्राम में 02 ग्राम नगर परिषद में हैं तथा 03 ग्राम की सीमा औरंगाबाद जिले से सटी होने तथा कुछ अन्य बड़े तथा जल–जमाव वाले ग्रामों के कारण किस्तवार का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। श्री विनोद कुमार पंकज, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि उनके स्तर से दिसंबर माह में की गई शिविरस्तरीय ऑनलाईन समीक्षा में सीतामढ़ी के अनेक शिविरों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि एजेंसी द्वारा अधिकांश मानचित्र उपलब्ध करा दिए गए हैं, जबकि अरवल की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि लगभग 20 दिनों की अवधि में एक ग्राम का भी किस्तवार, खानापुरी एवं प्रपत्र–6 की प्रविष्टि का कार्य पूर्ण नहीं किया गया।

(ii) बेगूसराय में बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 500 से कम खेसरों वाले ग्राम में प्राथमिकता के आधार पर प्रारूप प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है। लगभग 13 ग्रामों का खतियान उपलब्ध नहीं रहने एवं जमाबंदी पंजी में खेसरा नं0 अंकित नहीं रहने के कारण खानापुरी कार्य में बाधा आ रही है। बेगूसराय के मटिहानी में बाँध आदि की जमीन का विवरण जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण एवं कांवर झील में सम्बद्ध जंगल की भूमि का पूर्व में वासगीत पर्चा दिए जाने के कारण भी कठिनाई हो रही है।

(iii) बन्दोबस्त पदाधिकारी, बांका द्वारा बताया गया कि बट्टा नं0 वाले राजस्व ग्रामों का अलग–अलग किए जाने की स्थिति में बांका जिले में राजस्व ग्रामों की संख्या– 306 से बढ़कर 966 हो जाएगी और नए राजस्व ग्रामों में लगभग प्रत्येक ग्राम में खेसरों की औसत संख्या 900 से 2500 के मध्य होगी। प्रपत्र–6 में इन्ट्री का कार्य धीमे होने सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में आई0टी0 सेल, प्रभारी द्वारा बताया गया कि जिलों में कर्मियों द्वारा लैपटॉप के स्थान पर मोबाईल से इन्ट्री करने के कारण प्रविष्टि की गति अत्यंत धीमी हो जाती है।

(iv) जमुई के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिले के विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के एक समूह द्वारा अपने कार्यों का निष्पादन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है एवं उनके द्वारा अन्य कर्मियों को वेतन कटौती आदि से सम्बन्धित कार्रवाई के बारे में अन्य कर्मियों को गुमराह कर कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए कार्य बाधित किया जा रहा है।

(v) जहानाबाद के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक– 31.12.2022 तक बड़े ग्रामों को छोड़कर शेष ग्रामों का तथा 07 जनवरी, 2023 तक सभी ग्रामों का किस्तवार पूर्ण कर लिया जाएगा। एजेंसी द्वारा बस्ती का मानचित्र विलंब से दिए जाने के कारण भी विलंब हो रहा है। कटिहार के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा बताया गया कि सभी ग्रामों में किस्तवार पूर्ण कर खानापुरी के कार्य को सहायक निदेशक द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार किया जा रहा है।

(vi) खगड़िया में केवल किस्तवार का कार्य होने तथा खानापुरी का कार्य लगभग 80 ग्रामों में पूर्ण नहीं होने के सम्बन्ध में बताया गया कि खगड़िया में खानापुरी की प्रक्रिया में रैयतों द्वारा स्वामित्व संबंधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं एवं अनेक सरकारी भूमि यथा केसरे–ए–हिन्द इत्यादि की जमाबंदी कायम रहने के कारण कठिनाई आ रही है। किशनगंज द्वारा बताया गया कि समीक्षा प्रतिवेदन में प्रदर्शित 66 खानापुरी पूर्ण तथा 34 एल0पी0एम0 वितरण पूर्ण राजस्व ग्रामों के विरूद्ध 97 ग्रामों में खानापुरी तथा 44 ग्रामों में एल0पी0एम0 वितरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(vii) बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा बताया गया कि जिन राजस्व ग्रामों का कैडेस्ट्र मानचित्र गुलजारबाग में अनुपलब्ध है, उनमें से कुछ राजस्व ग्रामों का मानचित्र ग्रामीणों से प्राप्त कर बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को उपलब्ध कराया गया है, इनके डिजिटाईजेशन के सम्बन्ध में गुलजारबाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही एजेंसी के स्तर से खानापुरी हेतु 58 ग्रामों का मानचित्र अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में एजेंसी द्वारा बताया गया कि जिले में बिजली आपूर्ति में समस्या के कारण मानचित्रों के मुद्रण में विलंब होता है।

(viii) बन्दोबस्त पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि दिसंबर, 2022 तक 1000 खेसरों वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार–अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा। मुंगेर के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा भी असर्वेक्षित ग्राम के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों को बताया गया।

(ix) बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा द्वारा बताया गया कि 174 ग्रामों का प्रपत्र– 6 संधारित किया जा चुका है। पूर्णियाँ की समीक्षा में पाया गया कि जिले में विशेष सर्वेक्षण अमीनों की संख्या आनुपातिक रूप से अधिक है और कुछ अमीनों का स्थानांतरण अन्य जिलों में किया जा सकता है। सहरसा में किस्तवार के अतिरिक्त अन्य प्रक्रमों की प्रगति अत्यंत धीमी पाई गई। शेखपुरा के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा बताया गया कि बन्दोबस्त पदाधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण प्रारूप एवं अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन की गति अवरूद्ध हुई है।

(x) बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर द्वारा बताया गया कि 70 राजस्व ग्रामों में फरवरी, 2023 तक खानापुरी का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा एवं एक ही अमीन द्वारा अलग–अलग प्रकार के कार्य को किए जाने के कारण विलंब होता है। सुपौल द्वारा बताया गया कि 06 राजस्व ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं 43 राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया जा चुका है। पश्चिमी चम्पारण द्वारा बताया गया कि सभी ग्रामों का किस्तवार पूर्ण किया जा चुका है एवं दस हजार खेसरों से अधिक वाले राजस्व ग्रामों की खानापुरी का कार्य मार्च, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। समीक्षा पश्चिमी चम्पारण के प्रगति प्रतिवेदन में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्रामों के अनुपात में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित राजस्व ग्रामों की संख्या बहुत कम पाई गई।

बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा दिए गए उक्त प्रतिवेदन एवं जिलावार प्रगति की समीक्षा उपरान्त निम्नांकित निदेश दिए गएः–

I. सीतामढ़ी समेत सभी जिलों को निदेशित किया गया कि शिविरों द्वारा सीमा सत्यापन करने के लिए रिविजनल सर्वे की सीमा को अंकित कर विशेष सर्वेक्षण मानचित्र की मांग किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। शिविर स्तर पर आवश्यकता पड़ने पर ग्लास टेबुल की सहायता से रिविजनल एवं विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में प्रदर्शित सीमा का मिलान किया जा सकता है। साथ ही एजेंसियों की साथ सही ढंग से समन्वय स्थापित कर प्रक्रमवार अपडेट कर प्राप्त किए जाने वाले मानचित्रों को ससमय प्राप्त किया जा सकता है।

II. बेगूसराय जिले वन भूमि वाले क्षेत्र में रैयतों के वासगीत पर्चा के संदर्भ में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग से पत्राचार करते हुए उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए एवं आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाए। बांध इत्यादि भूमि के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अलग से पत्र दिया जाए। साथ ही जिलों में भू–अर्जन कार्यालय से भी जल संसाधन एवं अन्य विभागों के लिए अर्जित की गई भूमि का विवरण प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।

III. बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा जिन अनुपलब्ध ग्रामों का मानचित्र रैयतों से प्राप्त कर बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को उपलब्ध कराया गया है, उनके डिजिटाईजेशन का कार्य यथाशीघ्र करने के लिए उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को निदेशित किया जाय।

IV. जमुई जिले में जिन विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा कार्य में बाधा पहुँचाई जा रही है, उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा कार्य प्रदर्शन के आलोक में प्रगति को देखते हुए क्रमिक रूप से कार्रवाई की जाय ताकि कठोर कार्रवाई की परिस्थिति उत्पन्न न हो।

V. कटिहार, सहरसा, पूर्णियाँ, किशनगंज एवं मुंगेर में बन्दोबस्त पदाधिकारियों के रिक्त पदों को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को बन्दोबस्त पदाधिकारियों का प्रभार स्वतः समाहर्त्ता को देने के लिए अनुरोध पत्र दिया जाए।

VI. खगड़िया एवं अन्य जिलों में खतियान के अनुपलब्धता की स्थिति में जमाबंदी पंजी एवं अंचल से प्राप्त गैर–मजरूआ आम/मालिक, कैसरे हिन्द, सैरात एवं जिला परिषद की भूमि की सूची के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जाए।

VII. मुंगेर एवं लखीसराय के 05 असर्वेक्षित ग्रामों की सूची बनाकर उनसे संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी को संबंधित ग्राम की जमाबंदी पंजी, ऑनलाईन पंजी, विशेष सर्वेक्षण मानचित्र तथा अंचल स्तर पर उपलब्ध मानचित्र के साथ प्रथम सप्ताह के अंत में निदेशालय में बुलाकर समीक्षा की जाए।

VIII. पूर्णियाँ एवं अन्य जिलों में शिविरों की आवश्यकता के अनुपातिक पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के पदस्थापन की समीक्षा की जाए एवं जिन शिविरों में समानुपातिक रूप से कर्मियों की संख्या कम है, उन्हें कर्मी उपलब्ध कराया जाए।

IX. मुंगेर, जहानाबाद एवं अरवल में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के स्तर से वर्त्तमान में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की ऑनलाईन उपस्थिति संधारित करने के लिए प्रारंभ किए गये एप के सफल क्रियान्वयन संबंधित जिलों के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों (मु0) द्वारा प्रतिदिन 10:30 बजे पूर्वाह्न में सभी कर्मियों के साथ विडियो क्रॉफेसिंग आयोजित की जाए एवं जिन कर्मियों द्वारा एप द्वारा उपस्थिति संधारित नहीं की जाती है, उनको स्पष्टीकरण करते हुए अनुपस्थित माना जाए।

X. लखीसराय जिले में विद्युत आपूर्ति की समस्या के सम्बन्ध में सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि विद्युत आपूर्ति के लिए जेनरेटर, इन्वर्टर इत्यादि लगाने अथवा अन्य किसी भी प्रकार की आधारभूत सुविधा के लिए जिला स्तर से ही अविलंब निर्णय लिए जाए और कार्यालय व्यय अथवा अन्य सम्बन्धित मदों में उपलब्ध राशि से व्यय करते हुए अवश्यकतानुसार निदेशालय से निदेश एवं आवंटन प्राप्त किया जाए।

XI. निदेशित किया गया कि जिन ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख के पूर्व खेसरों की तुलना में प्राप्त दावा, आपत्ति की संख्या बहुत अधिक है अथवा प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन पश्चात् दावा, आपत्ति की संख्या अधिक है, वहाँ के अमीनों द्वारा खानापुरी प्रक्रम में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा एवं सतत् अनुश्रवण जिला स्तर पर करना सुनिश्चित किया जाए।

XII. सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिले के सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को स्पष्ट रूप से निदेशित किया जाय कि भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में सभी प्रविष्टियों को लैपटॉप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी कर्मी द्वारा मोबाईल के माध्यम से भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि (विशेषकर प्रपत्र–6 का संधारण) किया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। आई0 टी0 सेल को निदेशित किया गया कि जिलों को उन विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सूची उपलब्ध कराये, जिनके स्तर से मोबाईल के माध्यम से डाटा संधारित किया जा रहा है।

XIII. आई0टी0 सेल को निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की ऑनलाईन उपस्थिति के लिए बनाए गए नए मोबाईल एप के संबंध में सभी औपचारिकताएँ पूरी कर आगामी माह से मुख्य सर्वर पर डालते हुए सभी जिलों में लागू किया जाए। साथ ही विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के सेवा–पुस्त संधारण की प्रक्रिया से जिलों के पदाधिकारियों/कर्मियों को अवगत कराते हुए उन्हें ऑनलाईन प्रशिक्षण भी दिया जाए एवं 15 जनवरी, 2023 तक सभी जिलों द्वारा सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सेवा–पुस्त को ऑनलाईन अपलोड कर दिया जाए।

XIV. निदेशित किया गया कि जिला स्तर से विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को अलग–अलग शिविरों एवं ग्रामों में टैगिंग/अनटैगिंग करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि शिविर अथवा ग्राम से हटाए जाने या जोड़े जाने का ठोस कारण क्या है और यदि कोई ठोस कारण न हो तो बहुत अधिक कर्मियों टैगिंग/अनटैगिंग नहीं की जाए।

XV. भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के स्थापना शाखा को निदेशित किया गया कि जिन विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई की जानी है और जिन पर बन्दोबस्त पदाधिकारियों का मंतव्य प्राप्त किया जाना है, उसकी सूची अविलंब सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए अविलंब मंतव्य प्राप्त कर लिया जाए एवं कार्रवाई के लंबित सभी मामलों का निष्पादन एक पक्ष के अंदर करना सुनिश्चित किया जाए।

XVI. विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में प्रपत्र–20 में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई के Process Flow से सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए बताया गया कि प्रपत्र– 21, प्रपत्र– 22 एवं प्रपत्र– 23 के बाद यदि किसी प्रकार का सुधार किया जाता है तो बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से Verify एवं Ok किए जाने के पश्चात् ही किया गया सुधार मान्य होगा। साथ ही प्रपत्र– 20 के बाद की गई सुनवाई के संबंध में आदेश के अनुपालन में किए जाने वाले सुधार के लिए

XVII. पुनः Recess (विश्रांति) की प्रक्रिया अपनाई जाएगी एवं किये गये सुधार की प्रविष्टि जाँचोंपरांत की जाएगी। प्रपत्र–20 के बाद की जाने वाली एवं सुधार की प्रक्रिया में शिविर कार्यालय की कोई भी भूमिका नहीं होगी। विशेष सर्वेक्षण शाखा को निदेशित किया गया कि उक्त के संबंध में प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को पत्र दिया जाए।

XVIII. बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि अनेक जिलों में नियमित स0ब0प0 (मु0) के रूप में राजस्व पदाधिकारी द्वारा कार्य किया जा रहा है और राजस्व पदाधिकारी को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्रभार दिए जाने के संबंध में मार्गदर्शन दिये जाने की आवश्कयता है। निदेशित किया गया कि इस संबंध में विभागीय स्तर पर प्रस्ताव समर्पित कर मंतव्य अथवा मार्गदर्शन प्राप्त कर जिलो को निदेशित किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

30/12/22

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09 / 2022 4826 **पटना, दिनांक:** 30/12/2022

प्रतिलिपिः समाहर्त्ता, सहरसा / किशनगंज / कटिहार / पूर्णियाँ / मुंगेर / बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय / खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद / अररिया / सीतामढ़ी / सुपौल / मधेपुरा / प0चम्पारण / जमुई / नालंदा / शिवहर / बांका / अरवल / शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/12/22

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09 / 2022 4826 **पटना, दिनांक:** 30/12/2022

प्रतिलिपिः अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, बेगूसराय / खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद / किशनगंज / अररिया / कटिहार / पूर्णियाँ / सीतामढ़ी / सुपौल / सहरसा / मधेपुरा / प0चम्पारण / जमुई / मुंगेर / नालंदा / शिवहर / बांका / अरवल / शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/12/22

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09 / 2022 ......4826...... **पटना, दिनांकः** 30/12/2022
प्रतिलिपिः जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09 / 2022 ......4826...... **पटना, दिनांकः** 30/12/2022
प्रतिलिपिः सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप / प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा / निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई0टी0 सेल / प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09 / 2022 ......4826...... **पटना, दिनांकः** 30/12/2022
प्रतिलिपिः श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0 09 / 2022 ......4826...... **पटना, दिनांकः** 30/12/2022
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप